



विषयक,

सिद्धा शरण पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक 05 जून, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में नाबार्ड पोषित मद के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर के तहसील सेवराई में कर्मनाशा नदी के बायें तट पर स्थित ग्राम सुरहां में हो रहे कटान से सुरक्षा हेतु क्रेटेड स्टोन बोल्डर पिचिंग कार्य की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, अनु० एवं नियो० (बाढ़) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-948/काप्रअ/अनिबाम/यू-10/बी-1प्र०/ दिनांक 11.05.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिसंदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर निम्नलिखित विवरण की एक अदद चालू परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-94 के लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-03-जल निकास-103-सिविल निर्माण कार्य-07-जल निकास योजना (नाबार्ड पोषित)-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित बजट व्यवस्था (चालू श्रेणी) के सापेक्ष रू० 36,80,000.00 (रूपये छत्तीस लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुये प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के निर्वर्तन पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

संगठन/मण्डल/खण्ड			मु0 अभि0 (सोन) वाराणासी/सिंचाई निर्माण मण्डल, वाराणसी/सिंचाई निर्माण खण्ड, वाराणसी।									
(धनराशि लाख रू० में)												
क्र० सं०	परियोजना का नाम	अनुदान सं०/लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रविधानित बजट	शासन द्वारा प्रदत्त स्वीकृति का सन्दर्भ शासनादेश सं० तथा दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति की लागत (a) / गठित अनुबन्ध की लागत (b)	अनुबन्धित लागत के आधार पर कार्य की पुनरीक्षित लागत	गठित अनुबन्ध/पुनरीक्षित लागत के आधार पर बचत {6(a)-7}	अब तक क्रमिक आवंटन (a)/क्रमिक व्यय (b)	परियोजना पर आवंटन हेतु अवशेष धनराशि (पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष) (7-9) (b)	वित्तीय वर्ष 2026-27 में		
										अनुदान सं०/लेखाशीर्षक	अवमुक्त की जाने वाली स्वीकृत धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
94-4711-03-103-07-24 जल निकास योजना (नाबार्ड पोषित)												
1	जनपद गाजीपुर के तहसील सेवराई में कर्मनाशा नदी के बायें तट पर स्थित ग्राम सुरहां में हो रहे कटान से सुरक्षा हेतु क्रेटेड स्टोन बोल्डर पिचिंग कार्य की परियोजना (Latitude: 83.7615030"N, Longitude: 25.397553"E)	94-4711-03-103-07-24 जल निकास योजना (नाबार्ड पोषित)	36.80	55/2025/224/2025/27-2002/3/2025-2, दिनांक 19.03.2025	278.09/211.50	253.80	24.29	267.00/217.00	36.80	94-4711-03-103-07-24	36.80	

(रूपये छत्तीस लाख अस्सी हजार मात्र)

- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

नियम व शर्तें/ प्रतिबन्ध

3- उक्त धनराशि का व्यय करने में निम्नांकित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये:-

- (1) तालिका में अंकित परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश की संख्या- 55/2025/224/2025/27-2002/3/2025-2, दिनांक 19.03.2025 में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-94 के लेखाशीर्षक-4711 बाढ़ नियन्त्रण परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय-03-जल निकास-103-सिविल निर्माण कार्य-07-जल निकास योजना (नाबार्ड पोषित)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 4- इस संबंध में होने वाला व्यय ₹ 36,80,000.00 (रूपये छत्तीस लाख अस्सी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक-4711031030700 जलनिकास योजना (नाबार्ड पोषित) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सिद्धा शरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज ।
- (2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज ।
- (3) प्रमुख अभियन्ता (परि० एवं नियो०), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (4) सम्बन्धित जिलाधिकारी।
- (5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (6) नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, शासन।
- (7) उप-महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, 11 विपिन खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।
- (8) मुख्य अभियंता, अनु० एवं नियो०, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (9) मुख्य अभियंता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (10) सम्बन्धित मुख्य अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०।
- (11) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (12) अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
- (13) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
- (14) सिंचाई अनुभाग-9/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
सिद्धा शरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव।